



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20082026-275599
CG-MH-E-20082026-275599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4384]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948

No. 4384]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 17 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 7A के तहत

का.आ. 4564(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, मध्य रेलवे के अंतर्गत “KWV-MRJ सेक्शन में KM 561/6-7 पर LC-70 के स्थान पर 2-लेन ROB” के निर्माण का प्रस्ताव विशेष रेलवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

अ.सं.	सक्षम प्राधिकारी	तालुका
1.	उप विभागीय अधिकारी, मिरज	मिरज

[फा. सं. G197/ROB&LHS/KWV-MRJ section/LC-70/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th August, 2026

Under clause 7A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4564(E) .— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Proposed construction of 2 lane ROB in lieu of LC-70 at KM 561/6-7 in KWV-MRJ Section**” District **Sangli** in the state of Maharashtra Mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.N.	Competent Authority	Taluka
1.	Sub-Divisional Officer, Miraj	Miraj

[F. No. G197/ROB&LHS/KWV-MRJ section/LC-70/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)